

सूचना

विषय: सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा (कक्षा 10वीं), 2021 के लिए उन विषयों में कार्यरितियां और अनुसूची जिनकी परीक्षा निम्न की प्रक्रिया के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित की गई है:

- (1) अंकों का सत्यापन
- (2) मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करना
- (3) अंकों का पुनः मूल्यांकन

अंकों के सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने और उन अभ्यर्थियों के पुनः मूल्यांकन की विस्तृत कार्य-रीतियाँ इस प्रकार हैं, जो उन विषयों में सेकेंडरी स्कूल पूरक परीक्षा (कक्षा 10वीं) 2020 के लिए बैठ चुके हैं जिनकी परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की गई है:-

- (1) सभी प्रक्रियाओं के लिए निवेदन निर्धारित अनुसूची/समय-सीमा के दौरान प्रभार सहित ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अनुसूची के उपरांत या ऑफलाइन मोड में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रक्रिया शुल्क केवल ऑनलाइन जमा किया जा सकता है (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग)। प्रक्रिया शुल्क ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा अर्थात् पोस्टल ऑर्डर/डीडी/मनीऑर्डर/चैक/नकद आदि के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
- (3) अधूरे/ऑफलाइन आवेदन अभ्यर्थी से बिना कोई संचार किए सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।
- (4) ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण के लिए प्रति अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को पहले से यह तय करना होगा कि उसे एक विषय में आवेदन करना है या कई विषयों में।
- (5) नियंत्रण से बाहर के कारणों के तहत, अंकों में संशोधन या संचार में देरी के परिणामस्वरूप, अभ्यर्थी को हुए किसी भी नुकसान या क्षति या असुविधा के लिए बोर्ड उत्तरदाई नहीं होगा।
- (6) एक अंक की कमी भी लागू होगी।
- (7) ऐसे मामलों में जहां अंकों में वृद्धि या कमी होती है, ऐसे अभ्यर्थियों को अंकतालिका सह प्रमाण पत्र जमा कराना होगा जो उनके पास है। इसके बाद, उन्हें एक नई अंकतालिका सह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (8) प्रसंस्करण शुल्क अप्रतिदेय है।

(1) अंकों का सत्यापन

क) अनुसूची संलग्नक -ए में दी गई है। प्रसंस्करण शुल्क रु. 500/- प्रति विषय है।

ख) अंकों के सत्यापन का परिणाम निम्नलिखित तरीके से सूचित किया जाएगा:

- (i) अंकों के सत्यापन का परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- (ii) अंकों में परिवर्तन के मामले में, सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदक को एक पत्र भी भेजा जाएगा।
- (iii) यदि अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सीबीएसई द्वारा कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (iv) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सत्यापन निवेदन की स्थिति जानने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट देखें।

ग) केवल वे अभ्यर्थी जो अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वे उस/उन विषय (विषयों) में उत्तर पुस्तिका(ओं) की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(II) मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन

ए) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऊपर निर्धारित तरीके से अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

बी) कक्षा-बारहवीं के लिए प्रसंस्करण शुल्क 500/- रुपये प्रति विषय होगा। अनुसूची संलग्नक-ए में दी गई है।

सी) अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और जमा किया गया शुल्क बिना किसी आगे संदर्भ के जब्त कर लिया जाएगा।

डी) परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य अधिकारी आदि की पहचान से संबंधित सभी सूचनाओं को अवरुद्ध करने के बाद मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति अभ्यर्थी के लॉगिन खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) आवेदकों को उनके लॉगिन खाते में उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति प्रदान की जाएगी।

एफ) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुसूची के अनुसार, उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन

ए) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन किया है, वे पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने या किसी/ किन्हीं प्रश्नों में दिए गए अंकों को चुनौती देने लिए पात्र होंगे।

बी) पुनः मूल्यांकन/चुनौती हेतु आवेदन केवल थ्योरी हिस्से के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए पर स्वीकार किए जाएंगे।

सी) आवेदक को संबंधित विषय में अंक योजना का संदर्भ लेना होगा जो प्रश्न पत्र सहित वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उसके बाद अभ्यर्थी तर्क सहित अपेक्षित प्रश्नों में पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करा सकते हैं।

डी) पुनः मूल्यांकन की स्थिति वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी और इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा औपचारिक पत्र भेजा जाएगा।

ई) एक अंक की कमी भी लागू होगी।

एफ) पुनः मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा और पुनः मूल्यांकन के विरुद्ध कोई अपील या समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त सभी तीनों गतिविधियों अर्थात् 1, 2 और 3 के मामले में प्रदान किए गए अंकों पर बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान की जाएगी। तथापि, सत्यापन और /या पुनः मूल्यांकन का निवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है।

-हस्ताक्षरित-
(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

संग्रहक -I

अंकों के सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने और कक्षा-X पूरक परीक्षा 2021 के लिए पुनः मूल्यांकन की अनुसूची			
क्रमांक	गतिविधि	अवधि	शुल्क
01	अंकों का सत्यापन		
	ऑनलाइन आवेदन करना	05 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) से 07 अक्टूबर 2021 (वीरवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक नोट:- ऑनलाइन प्रक्रिया अवकाश दिनों में भी की जा सकती है।	500 रुपए प्रति विषय
02	मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करना		
	ऑनलाइन आवेदन करना	14 अक्टूबर 2021 (वीरवार) से 15 अक्टूबर 2021 (शुक्रवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक	500 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका
03	पुनः मूल्यांकन		
	ऑनलाइन आवेदन करना	19 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) से 20 अक्टूबर 2021 (बुधवार) मध्यरात्रि 11.59.59 बजे तक नोट:- ऑनलाइन प्रक्रिया अवकाश दिनों में भी की जा सकती है।	100 रुपए प्रति प्रश्न